रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2015/माघ 13, 1936
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2015/MAGHA 13, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2015

(आयकर)

का.आ. 316(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाली संलग्न प्रोतोकोल पर 26 जुलाई, 2013 को प्रिटोरिया में हस्ताक्षर किये गये थे;

और जबकि, उस प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख 26 नवम्बर, 2014 है, जो कि उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद II के अनुसार, प्रोतोकोल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन बाद है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 10/2015 – एफटी & टीआर- II/फा. सं. 500/144/2005-वि.क.प्र.-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणतंत्र की सरकार
और
दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र की सरकार
के बीच 4 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित
करार को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल

प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र की सरकार और भारत गणतंत्र की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 4 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार को (जिसे इसके बाद करार कहा जाएगा) संशोधित करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद **25** को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद **1** और अनुच्छेद **2** द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ **1** के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ **1** में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं । जब ऐसी सूचना का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के

लिए किया जा सकता है तो पूर्ववर्ती का विरोध न कर, एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ **1** और **2** के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (जन नीति) ।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ **3** की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ **3** के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।"

अनुच्छेद - II

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के संबंध में राजनयिक माध्यम के जरिए लिखित में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । प्रोतोकोल इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन बाद प्रवृत्त होगा और इसके प्रावधान उस तारीख से प्रभावी होंगे ।

अनुच्छेद - III

यह प्रोतोकोल, जो करार के अभिन्न भाग के रूप में होगा, तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि करार प्रवृत्त रहेगा और तब तक लागू होगा जब तक कि करार स्वयं लागू रहता है ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों, जो अपनी-अपनी सरकारों की ओर से इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत हैं, ने अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे सील किया है। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्रिटोरिया में वर्ष दो हजार 2013 के जुलाई माह के 26वें दिन को निष्पन्न।

भारत गणतंत्र की
सरकार की ओर से

वीरेन्द्र गुप्ता
दक्षिण अफ्रीका में भारत के
उच्चायुक्त

दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र की
सरकार की ओर से

प्रवीन जमनादास गोरधन
वित्त मंत्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2015

(INCOME TAX)

S.O. 316(E).—Whereas the annexed Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of South Africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was signed in Pretoria on the 26th day of July, 2013;

And whereas, the date of entry into force of the said protocol is the 26th day of November 2014, being thirty days after the date of receipt of later of notifications of completion of the procedures required by the respective laws for bringing the Protocol into force, in accordance with Article II of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 26th day of November, 2014.

[Notification No. 10/2015-FT&TR-II/F.No.500/144/2005-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,

SIGNED AT NEW DELHI ON 4 DECEMBER 1996

PREAMBLE

The Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of India;

DESIRING to amend the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 4 December 1996 (hereinafter referred to as "the Agreement");

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I

Article 25 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

"**ARTICLE 25**

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE II

Each Contracting State shall notify the other in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of receipt of the later of these notifications and its provisions shall have effect on that date.

ARTICLE III

This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Protocol in two originals in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of diversion of interpretation the English text shall prevail.

DONE at Pretoria, on this 26th day of July, 2013.

FOR THE GOVERNMENT OF THE INDIA	**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**
Virendra Gupta	Pravin Jamnadas Gordhan
High Commissioner of India to South Africa	Minister of Finance

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.